कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2020–21

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी संस्थान)

प्रथम चरण	
• प्रथमतः स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर आवंटन • तदोपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने के कारण त्रि–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले दो वर्षों अथवा चार सेमिस्टर; चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों अथवा छः सेमिस्टर; पाँच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले चार वर्षों अथवा आठ सेमिस्टर के परीक्षा परिणामों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रावधिक आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित कर आवंटन जारी किया जावेगा।	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं निरस्तीकरण	**13/10/2020** से **24/10/2020**
रजिस्ट्रेशन में सुधार **(Edit Registration)**	**25/10/2020** से **26/10/2020**
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम(Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	**15/10/2020** से **28/10/2020** रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	**29/10/2020** दोपहर 3 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आंवटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	**03/11/2020** से **09/11/2020** सांय 5 बजे तक
संस्था स्तर की कांउसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं निरस्तीकरण	**10/11/2020** से **13/11/2020** सांय 3:00 बजे तक
इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।	**11/11/2020** से **13/11/2020** सांय 5:00 बजे तक

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय–सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची इत्यादि, वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आंवटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
- कोविड–19 (कोरोना) महामारी के कारण शासन के निर्णय अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2020–21 में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा जिनके फाइनल सेमिस्टर/वर्ष की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थियों को त्रि–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले दो वर्षों अथवा चार सेमिस्टर; चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों अथवा छः सेमिस्टर; पाँच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पिछले चार वर्षों अथवा आठ सेमिस्टर के परीक्षा परिणामों के अंकों की मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित कर आवंटन जारी किया जावेगा, किन्तु उन्हें स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष के पूर्व के सभी सेमिस्टर/वर्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- जिन अभ्यर्थियों के स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम उपलब्ध नहीं होने पर आवंटन जारी किया जावेगा, उनके प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक होंगे।
- प्रावधिक रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पंजीयन (Enrolment) से पूर्व अर्हकारी परीक्षा के उत्तीर्ण परिणाम की अंक सूची प्रस्तुत कर एआईसीटीई द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पात्रता सुनिश्चित करवाना होगी अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

(कोविड–19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्कः–0755-6720205, 2660441 ईमेलः–dte.helpcenter@mp.gov.in

सही
अध्यक्ष–काउंसलिंग समिति एवं
आयुक्त तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

for website